कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

क. वसूलियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	8.00	173.50	181.50	23.38	201.98	225.36	18.23	195.02	213.25	22.76	208.75	231.51
	पूंजी	***16.43***	*8.03*	*24.46*	*10.62*	*19.30*	*29.92*	*2.77*	*17.34*	*20.11*	*1.24*	*22.50*	*23.74*
	जोड़	**24.43**	**181.53**	**205.96**	**34.00**	**221.28**	**255.28**	**21.00**	**212.36**	**233.36**	**24.00**	**231.25**	**255.25**
1. सविचालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	96.10	96.10	...	120.28	120.28	...	114.14	114.14	...	119.20	119.20
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
2. संयुक्त स्टाक कंपनी पंजीयक	3475	...	33.31	33.31	...	35.65	35.65	...	34.93	34.93	...	35.84	35.84
3. कंपनी अधिनियम तथा क्षेत्रीय निदेशकों के तहत शासकीय परिसमापक	3475	...	26.11	26.11	...	29.30	29.30	...	28.15	28.15	...	29.04	29.04
4. अन्य व्यय	3475	...	17.98	17.98	...	16.75	16.75	...	17.80	17.80	...	24.67	24.67
	5475	...	8.03	8.03	...	19.30	19.30	...	17.34	17.34	...	22.50	22.50
	जोड़	...	*26.01*	*26.01*	...	*36.05*	*36.05*	...	*35.14*	*35.14*	...	*47.17*	*47.17*
5. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)	3475	8.00	...	8.00	23.38	...	23.38	18.23	...	18.23	22.76	...	22.76
	5475	16.43	...	16.43	10.62	...	10.62	2.77	...	2.77	1.24	...	1.24
	जोड़	*24.43*	...	*24.43*	*34.00*	...	*34.00*	*21.00*	...	*21.00*	*24.00*	...	*24.00*
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**24.43**	**85.43**	**109.86**	**34.00**	**101.00**	**135.00**	**21.00**	**98.22**	**119.22**	**24.00**	**112.05**	**136.05**
कुल जोड़		***24.43***	***181.53***	***205.96***	***34.00***	***221.28***	***255.28***	***21.00***	***212.36***	***233.36***	***24.00***	***231.25***	***255.25***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	24.43	...	24.43	34.00	...	34.00	21.00	...	21.00	24.00	...	24.00
जोड़		**24.43**	**...**	**24.43**	**34.00**	**...**	**34.00**	**21.00**	**...**	**21.00**	**24.00**	**...**	**24.00**

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई.ई.पी.एफ.), ई-शासन परियोजना (एमसीए-21), पुनर्वास एवं दिवालिया निधि और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को सामान्य सहायता अनुदान के लिए प्रावधान करता है।

2. **कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक एवं कंपनी रजिस्ट्रार:** विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रारों-सह-शासकीय समापकों और कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों के व्यय के लिए प्रावधान करता है। उनका मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम,

1956 के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों का पंजीकरण करना, वार्षिक विवरणी, तुलन-पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना, उनका निरीक्षण एवं जांच करना है तथा ऐसी संवीक्षा, निरीक्षण एवं जांच के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमिताओं/अनुपालन न करने के मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक भी उच्च न्यायालयों के साथ संबंधित होते हैं और अनिवार्य रूप से परिसमापनाधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

3.01. **शासकीय समापक:** कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, शासकीय समापकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वे संबंधित उच्च न्यायालय से संबंधित होते हैं। इनका मुख्य उदेश्य परिसमापन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की परिसंम्पितियों को बेचना तथा लेनदारों/कर्मचारियों आदि को भुगतान करना है।

3.02. **महानिदेशक, (कारपोरेट कार्य) सहित प्रादेशिक निदेशक:** कारपोरेट कार्य महानिदेशक का कार्य मंत्रालय एवं पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच कड़ी के रुप में कार्य करना है। प्रादेशिक निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापकों, कंपनी रजिस्ट्रारों और शासकीय समापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं तथा उनका मार्गदर्शन करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** कंपनी विधि बोर्ड के कार्यालयों, गंभीर धोखाधड़ी जांच पडताल कार्यालय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट अपीलीय प्राधिकरण, विशेष न्यायालय एवं निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान करता है।

5. **भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) (योजना स्कीम):** वन स्टॉप मोड में सहक्रियात्मक जानकारी प्रबंधन, साझेदारी और समस्याओं के निवारण करते हुए कारपोरेट विकास, सुधार तथा विनियमन में सहायता हेतु एक समग्र विचारक मंडल, क्षमता निर्माण और सेवा सुपुर्दगी संस्थान के रूप में कार्य करता है।